"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना. डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 111] रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल 2011—चैत्र 14, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-3/2002/1-7.—राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि, नियम, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम-4 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"रुपये 7000/- (रुपये सात हजार) प्रतिमाह सम्मान निधि स्वीकृत की जाएगी."

(2) ये अप्रैल, 2011 के प्रथम दिवस से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2011

क्रमांक एफ 5-3/2002/1-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-3/2002/1-7, दिनांक 4 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

Raipur, the 4th April 2011

NOTIFICATION

No. F 5-3/2002/1-7.—State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Swatantrata Sangrama Sainik Samman Nidhi, Rules, 1972 :—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) For sub-rule (1) of the Rule-4, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"Rs. 7000/- (Rupees Seven Thousand only) per month Samman Nidhi may be sanctioned."

(2) It shall come into force with effect from the first day of April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.